

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

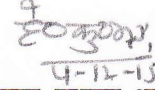
**अधिसूचना**

राँची

दिनांक :- 04-12-15

अधि.सं.-01/स्था.(प्रोन्नति)-10-03/15-3969/ श्री अशोक राम, कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (आई.डी.-3845), जो मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), पर्यटन विभाग, झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित हैं, की सेवा पर्यटन विभाग से वापस लेते हुए मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल प्रक्षेत्र, राँची के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
5-12-15

( हेमन्त कुमार भक्त )

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

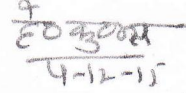
ज्ञापांक :-

3969

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

  
5-12-15

( हेमन्त कुमार भक्त )

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

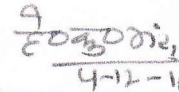
ज्ञापांक :-

3969

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार(जल संसाधन) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार यथाशीघ्र सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को देंगे।

  
5-12-15

( हेमन्त कुमार भक्त )

सरकार के उप सचिव (प्र.)।